न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible]

पीठासीन अधिकारी :— श्री बालकृष्ण तिवाडी *आर. ए. एस.*

उनवान

श्रीमती अजीतकौर बनाम गुरनामसिंह

निर्णय दिनांक 03.11.2017

(प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा0 दी0)

निर्णय

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा0 दी0 का पेश किया कि विवादित आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है, जिसमें वादीगण का हक व हिस्सा निहित है तथा वाद पत्र वादीगण ने पुश्तैनी आराजी में अपना हक हिस्सा प्राप्त करने के उद्देश्य हेतु प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी सं0 1 ला0 3 प्रार्थीगण के सगे भाई है, जिन्होने जवाब प्रार्थना पत्र में स्वयं के पक्ष में पिता नरेन्द्रसिंह द्वारा वसीयत किया जाना अंकित किया है। जबकि वास्तव में वादीगण के पिता श्री नरेन्द्रसिंह का स्वर्गवास निर्वसीयत हुआ था तथा उन्होनें अपने जीवनकाल में कोई वसीयत प्रतिवादी नं0 1 ला0 3 के हक में नही की न ही उन्हें कानूनन कोई वसीयत करने का अधिकार था। क्योकि विवादित आराजी श्री नरेन्द्र सिंह की स्वयं की पैदाकर्दा आय से बनाई निजि सम्पत्ति नही थी। बल्कि आराजी मुतनाजा हाल ख0 नं0 314, 2593, 2956, 3202 वाके ग्राम अलावडा भी वादीगण के पिता श्री नरेन्द्रसिंह को अपने बुजुर्गो से प्राप्त हुई थी। वादीगण की माता का ज्ञानकौर का स्वर्गवास भी निर्वसीयत हुआ था। ऐसी स्थिति में वादीगण के पिता नरेन्द्रसिंह को कोई वसीयत करने का कानूनन अधिकार ही प्राप्त नही था। किन्तु तथाकथित वसीयत दिनांक 28.07.2010 की वादीगण को वक्त दायरी दावा कतई कोई जानकारी नही थी। प्रतिवादीगण के जवाब प्रार्थना पत्र से तथाकथित वसीयत की जानकारी हुई है। इसलिए वाद के अलावा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में भी संशोधन कराया जाना आवश्यक हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी

Generated by CamScanner

प्रार्थना पत्र को दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की ओर से जवाब तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने गलत तथ्य अंकित कराये है तथा साथ ही बात को घुमा फिराकर अंकित किया है। विवादित आराजी स्व0 नरेन्द्रसिंह की स्वयं पैदाकर्दा है। स्व0 नरेन्द्रसिंह निर्वसीयत फौत हुये थे। असल में वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता स्व0 नरेन्द्रसिंह ने अपने जीवनकाल में अपनी दोनों बेटियों का विवाह पूर्ण धूमधाम से कर दिया था। तथा अपनी मर्जी पूर्ण होश हवास में सब रजिस्ट्रार साहब रामगढ के उपस्थित होकर गवाहन के समक्ष विवादित आराजी खसरा नम्बर 2593, 2956, 3202, 299 वाके ग्राम अलावडा की वसीयत दिनांक 28.07.2010 को रजिस्टर्ड करवाई थी। तब से आज तक उक्त वसीयत कभी भी किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नही की गई है। जो वादीगण की जानकारी में बखूबी है। परन्तु वादीगण ने जानबूझकर उक्त वसीयत का जिक्र दावे में नही किया। क्योकि वादीगण गलत तथ्यों के आधार पर दावा लेकर आये है। और एकपक्षीय स्थगन आदेश लेकर बैठे है। और दावा को लम्बा करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः वाद खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान वकुलाय की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सीपीसी आर्डर 6 रूल्स (17) पर बहस सुनी गई। प्रार्थी/ वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दावा पेश करते समय प्रार्थीगण/ वादीगण को प्रार्थीगण/ वादीगण के पिता स्व0 नरेन्द्रसिंह द्वारा अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण 1 ला0 3 के पक्ष में की गई वसीयत की जानकारी नही थी। अतः वादपत्र में स्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण/ वादीगण द्वारा तथाकथित नुमाईशी वसीयत का जिक्र नही किया गया था। अब जब वाद/ प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश किये जाने के बाद अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण 1 ला0 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया तो हमारे लिये यह आवश्यक हो गया कि वादपत्र के पैरा नं0 6 में 6 ए एवं प्रार्थना पत्र के पैरा नं0 7 में 7 ए जोडकर वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र में संशोधन

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

Generated by CamScanner

माननीय न्यायालय हाजा ...

किया गया है।

प्रार्थीगण/ वादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि इस संशोधन से वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र की मूल प्रवृति एवं अनुतोषों की मूल प्रवृति नही बदलेगी। अपितु इस संशोधन को स्वीकार करने से न्यायालय हाजा को निर्णय तक पहुचने में सहायता मिलगी। अपनी बहस में अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि चूंकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण/ अप्रार्थीगण, वादीगण / प्रतिवादीगण के पिता स्व0 नरेन्द्रसिंह की स्वयं की अर्जित पैदा की गई सम्पत्ति नही थी, अपितु पैतृक सम्पत्ति थी। अतः उन्हें प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण के पक्ष में वसीयत करने का अधिकार नही था, प्रस्तुत वसीयत प्रारम्भ से ही शुन्य है। अतः इसके आधार पर अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण को अर्जित होने वाला अधिकार भी प्रारम्भ से शुन्य है जिसे श्रवण का अधिकार न्यायालय हाजा को है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आदेश 6 नियम 17 अन्तर्गत सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र में संशोधन की अनुमति दी जावे।

प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण एवं प्रार्थीगण/ वादीगण के पिता नरेन्द्रसिंह की स्वयं की अर्जित सम्पत्ति रही है। जो बखूबी सनद पटटा सं0 16/39 दिनांक 15.12.82 से प्रमाणित है। अपनी बहस में कथन करते हुए अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि चूंकि प्रार्थीगण की वसीयत फर्जी है, तो प्रार्थीगण को उसके विरूद्ध एफआईआर करनी चाहिए थी एवं उसे निरस्त करने के लिए सिविल न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए। उक्त वसीयत के आधार पर निर्णय करने का अधिकार न्यायालय हाजा को नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभयपक्ष के विद्वान वकुलाय की बहस पर मनन किया और इस

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

Generated by CamScanner

निष्कर्ष पर पहुचते है कि प्रार्थना पत्र / वादपत्र में संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायहित में होगा। इससे निर्णयात्मक निष्कर्ष तक पहुचाने में न्यायालय को मदद मिलेगी।

अतः प्रार्थीगण/ वादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 6 नियम (17) स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं वादपत्र में संशोधन स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते संशोधित वादपत्र एवं संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 14/11/17 को पेश हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 03.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

Generated by CamScanner